Letter No: 159/UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1 Dated:18/04/2022

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन विभाग), "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून -248001 (उत्तराखण्ड) दूरभाष-0135-2530584 फैक्स-0135-2531646
Dy. General Manager (Human Resource), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun -248001 (Uttarakhand) Phone -0135-2530584 Fax - 0135-2531646
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001,14001 Certified

कार्यालयज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापनसंख्या 4/यूजेवीएनएल/05/निदेशक मा०सं०/उमप्र (औ०सं०)/एम–1 दिनांक 09.01.2020के अनुक्रम **चामुण्डा सर्जिकल एण्डलैप्रोस्कोपिक सैन्टर, रामनगर रोड, काशीपुर (उधमसिह नगर)** को यूजेवीएनलिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्तीउ०प्र० राज्य विद्युत परिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के,वे सेवानिवृत्त कार्मिक यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रितपत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहयरोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक01.01.2022 से दिनांक 31.12.20 तक 02(दो) वर्श के लिये** मान्यता विस्तारित की जाती है।

1. उक्तचिकित्सालय संलग्न दर सूची सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (Central Government Health Scheme,Dehradun 2014) (Updated 04th May 2021) (NABH/NABL Rates)में दर्शाई गई दरों पर सम्बन्धितकर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई द देयनहीं होगा।

2. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालन नकरने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :–

   a मान्यता अवधि में चिकित्सालयप्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

   b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशिलेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

   c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, कोअस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

   d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम मेंअथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

   e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोगकी शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवंउपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो के अनुपालन हेतु सहमति रू० 1 00 के नान ज्यूडीशियलस्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेश शर्तें एवंप्रतिबन्ध यथावत रहेगे ।

निदेशक(मा०सं०)

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव,अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजीसचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक(परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०सं०),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासीनिदेशक (जानपद)/(वि०/या०)/(ओ०एण्डएम०)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।
5. समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर प्रेशित करने का कश्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएनलिमिटेड देहरादून को **निगम की वैबसाइट पर"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्शक के अन्तर्गत" अपल करने हेतु।**
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी,सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिश्ठ विधि अधिकारी,यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालययमुना भवन, देहरादून।

12. डा०वाई०एस० रावत, चामुण्डा सर्जिकल एण्ड लैप्रोस्कोपिक सैन्टर, रामनगर रोड़, काशीपुर(उधमसिह नगर)।

13. अध्यक्ष / महामंत्रीसमस्त यूनियन / एसोसिएशन।

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)